



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

visit us : [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in)

E-Mail : [rsuexam@gmail.com](mailto:rsuexam@gmail.com)

क्र. 9949 / परीक्षा / प्रवेश / 2024

रायपुर, दिनांक 14 / 06 / 2024

## // अधिसूचना //

राज्य शासन (उच्च शिक्षा विभाग), नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 427 / 101 / आउशि / सम. / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 12 / 06 / 2024 के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश के लिए Online Portal दिनांक 17 / 06 / 2024 से 25 / 07 / 2024 तक खोली गई है।

समस्त महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय के लिए आवेदित छात्र-छात्राओं की सूची प्रदान की जायेगी, महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र/छात्राओं का गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024-25 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

ऑनलाईन प्रवेश हेतु तिथियों का विवरण निम्नानुसार है:-  
प्रथम चरण में प्रवेश हेतु तिथि:-

1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	25 / 06 / 2024
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	26 / 06 / 2024
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	26 / 06 / 2024 से 08 / 07 / 2024 तक

द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु तिथि:-


1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	08 / 07 / 2024
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	09 / 07 / 2024
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	09 / 07 / 2024 से 18 / 07 / 2024 तक

तृतीय चरण में प्रवेश हेतु तिथि:-

1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	18 / 07 / 2024
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	19 / 07 / 2024
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	19 / 07 / 2024 से 31 / 07 / 2024 तक

- टीप:-
- दिनांक 31 / 07 / 2024 को रिक्त स्थान सभी वर्गों के लिए खोल दिया जायेगा, जिसको महाविद्यालय के प्राचार्य नियमानुसार अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे।
  - स्नातक / स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली कक्षाओं के लिए ऑनलाईन प्रवेश शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।
  - विश्वविद्यालय के लिखित अनुमति लिये बिना कोई भी महाविद्यालय ऑफलाईन प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।

आदेशानुसार,

  
14/06/24  
कुलसचिव